भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2641
(09 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिवस में वृद्धि

2641. श्री एम. सेल्वराजः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का पुनरुद्धार करने का और कामगारों को उनका वेतन बढ़ाने सहित 200 दिवसों का रोजगार प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): जी, नहीं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हो, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सिफारिश पर देश के अधिसूचित सूखा प्रभावित क्षेत्रों अथवा प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में 100 दिवसों के अलावा 50 दिवसों का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। मंत्रालय वन क्षेत्र के प्रत्येक अनुसूचित जनजाति वाले परिवार को अतिरिक्त 50 दिवसों के मजदूरी रोजगार के प्रावधान का भी अधिदेश करता है बशर्ते इन परिवारों के पास एफआरए अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रदत्त भूमि अधिकारों को छोड़कर कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 के अंतर्गत कामगारों के लिए मजदूरी दरें केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा की धारा 6(1) के प्रावधान के अनुरूप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक (सीपीआई-एएल) के आधार पर वार्षिक रूप से अधिसूचित की जाती हैं। मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी दरें अधिसूचित की हैं।

******